

## मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लघु  
उद्योग कम आवासीय भू—उपयोग के भूखण्डों को “जहाँ  
है, जैसा है,” के आधार पर

e-Auction & Online bids पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

## विवरण पुस्तिका

e-Auction & Online bids का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](http://mdameerut.in)  
पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 590/- मात्र  
(विवरण पुस्तिका मूल्य ₹ 500/- + 18 प्रतिशत GST ₹ 90/-)

**मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लद्यु उद्योग कम आवासीय भू—उपयोग के भूखण्डों को e-AUCTION & Online bids पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्ते—**

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-AUCTION & Online bids का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](http://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
2. **e-AUCTION & Online bids** में भाग लेने हेतु पात्रता—
  - (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
  - (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।
  - (ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
  - (घ) प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
  - (ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।
  - (च) रजिस्टर्ड को—आपरेटिव सोसायटी (को—आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
  - (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
  - (ज) एच०यू०एफ०।
  - (झ) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।
  - (ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)
3. आवेदक को **e-AUCTION & Online bids** में भाग लेने के लिये नेट से डाउनलोड की गयी स्व: हस्ताक्षरित विवरण पुस्तिका, पैन एवं आधार/वोटर कार्ड की स्व: प्रमाणित छाया प्रति, **on line emd** जमा रसीद की प्रति तथा **Cancle Check** (असफलता की स्थिति में धनराशि वापसी हेतु) अपलोड करना आवश्यक होगा।
4. प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](http://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-AUCTION & Online bids के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार नियत तिथियों को e-AUCTION & Online bids आमन्त्रित है।

5. e-AUCTION & Online bids में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-AUCTION & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-AUCTION & Online bids हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क कुल मूल्य रूपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा तथा अपना e-AUCTION & Online bids के लिये रजिस्ट्रेशन कराते हुए Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा।
7. प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत e-AUCTION & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, करना होगा। अन्यथा आवेदक e-AUCTION & Online bids में भाग नहीं ले सकेगा।
8. e-AUCTION के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार Online bids के माध्यम से आवेदक द्वारा दी गयी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
9. नियत दिनांक को आवेदकों द्वारा Online bids दी जा सकेगी। नियत दिनांक को निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदक Online bids नहीं दे सकेगे। Online bids देने वाले आवेदक को ही e-AUCTION में भाग लेने का अधिकार होगा।
10. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-AUCTION & Online bids में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को Online bids में भाग ले सकते हैं तथा जिन आवेदकों द्वारा Online bids में भाग लिया गया है, केवल वे आवेदक ही e-AUCTION में भाग ले सकते हैं।
11. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के समुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति

वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम् बिड (MINIMUM PER SQM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम् बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।

12. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित ख: हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी नीलामी/बिड में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](https://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर लोड करनी होगी। सफल आवेदकों को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त ख: हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
13. e-AUCTION की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-AUCTION समिति द्वारा नियत दिनांक को निर्धारित समयानुसार आवेदकों की Online प्राप्त bids खोली जायेगी तथा आवेदकों की e-AUCTION के माध्यम से प्राप्त दरों व Online bids में प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। e-AUCTION व Online bids में से परस्पर प्राप्त उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
14. e-AUCTION & Online bids के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर Online bids देने वाले आवेदक/e-AUCTION पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि(EMD), e-AUCTION & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGSके माध्यम से वापस की जायेगी।
15. आवेदक जिस सम्पत्ति हेतु Online bids डालेगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-AUCTION में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये Online रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करना होगा तथा Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा सम्पत्ति के सापेक्ष धरोहर राशि(EMD) जमा करानी होगी।

16. e-AUCTION & Online bids के पश्चात् भूखण्ड का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के बाद स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड का साईट प्लान प्राप्त होने पर यदि सम्पत्ति कॉर्नर पर स्थित होनी पायी जाती है तो भूखण्ड का मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज पृथक से देय होगा। यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि पायी जाती है तो नियमानुसार भूमि का अतिरिक्त मूल्य देय होगा तथा सम्पत्ति के मूल्य में कॉर्नर चार्ज शामिल करके 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड देय होगा।
17. प्रतिभागी द्वारा e-Auction & Online bids में दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि धिरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। औद्योगिक कम आवासीय श्रेणी के 13% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। उच्च आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 10.50% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 10.50% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 10.50% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्ति के सापेक्ष पहली छमाई किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार शेष 05 किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा।

#### 18. दण्ड ब्याज—

औद्योगिक श्रेणी के भूखण्डों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाई) अतिरिक्त देय होगा। उच्च आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाई) अतिरिक्त देय होगा। मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित

प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा। अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 14% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

19. e-AUCTION & Online bids का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
20. भूखण्ड का विधिवत् आवंटन कम किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25% धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो भूखण्ड से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, भूखण्ड के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भूखण्ड की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

मद सं-08	<p>प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया—</p> <p>(1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p> <p>(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p>
-------------	--	---

#### 21. कब्जा हस्तान्तरण—

- (अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, भूखण्ड मूल्य में लोकेशन चार्ज जो शामिल करते हुए

भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(ब) किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

22. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रुपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

23. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम् दर का 10% कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।

24. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।

25. फ्रीहोल्ड चार्ज का 12% अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।

26. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

27. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा—15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप—नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।

28. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

29. परिसम्पत्ति का आवंटन “जहाँ है जैसा है” पद्धति पर किया जायेगा।

30. अन्य शर्तें—

(1) e-AUCTION & Online bids में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू—राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-AUCTION & Online bids पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-AUCTION & Online bids से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

(7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय

शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।

e-AUCTION & Online bids में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—  
मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का  
अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।


आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:-

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

Email id : .....

पता .....  
.....



Schemewise Detail of Residential Plots.								
Sl. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE	RESERVE VALUE	EMD	MINIMUM PER SQM BID for Auction
<b>DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME</b>								
1	A	A-77	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
2	A	A-83	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
3	A	A-85	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
4	A	A-294	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
5	A	A- 307	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
6	C	C-454	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
7	C	C- 455	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
8	C	C- 456	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
9	C	C- 457	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
10	C	C- 458	200	HIG Residential	14200	2840000	284000	142
11	CP	CP-46	112.5	MIG Residential	14200	1597500	159750	142
12	M	M-167	144	MIG Residential	14200	2044800	204480	142
13	M	M-260	254	MIG Residential	14200	3606800	360680	142
<b>SANIK VIHAR HOUSING SCHEME</b>								
14	D	D-353	238.8	HIG Residential	17050	4071540	407154	171
15	D	D-38/1	285.25	HIG Residential	15500	4421375	442138	155
16	D	D-106	101.34	LIG Residential	15500	1570770	157077	155
17	D	D-31	137.1	MIG Residential	15500	2125050	212505	155
18	D	D-50	125.63	MIG Residential	18000	2261340	226134	180
19	D	D-335	158.65	MIG Residential	15500	2459075	245908	155
<b>GANGA NAGAR HOUSING SCHEME</b>								
20	L	L-266/3	200.08	HIG Residential	16300	3261304	326130	163

VED VYAS PURI HOUSING SCHEME								
21	4B	B-395	120	MIG Residential	18480	2217600	221760	185
22	4B	B-400	60	LIG Residential	18480	1108800	110880	185
23	4B	B- 406	60	LIG Residential	18480	1108800	110880	185
24	4B	B-407	60	LIG Residential	18480	1108800	110880	185
PALLAVPURAM PHASE-1, HOUSING SCHEME								
25	G	G-86	168.68	MIG Residential	19000	3204920	320492	190
DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME								
26	B	B-511	567.09	HIG Residential	24750	14035478	1403548	248

संख्या .....

## मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम  
आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप  
हाउसिंग, होटल, बारातघर / बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ  
सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी  
एवम् प्राईमरी स्कूल / जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री  
कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये  
शैक्षिक भूखण्डों को “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर

e-Auction & Online bids पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

## विवरण पुस्तिका

e-Auction & Online bids का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाइट [mdameerut.in](http://mdameerut.in)

पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रूपये 1180/- मात्र

(विवरण पुस्तिका मूल्य ₹ 1,000/- + 18 प्रतिशत GST ₹ 180/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को **e-Auction & Online bids** पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्ते—

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction & Online bids का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट [mdameerut.in](https://mda.procure247.com/) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
2. e-Auction & Online bids में भाग लेने हेतु पात्रता—

#### शैक्षिक भूखण्डों हेतु—

- (अ) रजिस्टर्ड सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(ब) रजिस्टर्ड को—आपरेटिव सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (को—आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(स) ट्रस्ट, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड/बिना रजिस्टर्ड)।  
(द) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण—संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो)।

#### शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों हेतु पात्रता—

- (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।  
(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।  
(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।  
(च) रजिस्टर्ड को—आपरेटिव सोसायटी (को—आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच०य०एफ०।

(झ) पंजीकृत कर्सोटियम(Consortium)फर्म।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)

3. आवेदक को e-Auction & Online bids में भाग लेने के लिये पैन एवं आधार/वोटर कार्ड की स्व: प्रमाणित छाया प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा।
4. प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](http://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction & Online bids के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार नियत तिथियों को e-Auction & Online bids आमन्त्रित है।
5. e-Auction & Online bids में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](http://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction & Online bids हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क कुल मूल्य रूपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा तथा अपना e-Auction & Online bids के लिये रजिस्ट्रेशन कराते हुए Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा।
7. प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत e-Auction & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction & Online bids हेतु निर्धारित खाते में में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](http://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, करना होगा। अन्यथा आवेदक e-Auction & Online bids में भाग नहीं ले सकेगा।
8. e-Auction के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार Online bids के माध्यम से आवेदक द्वारा दी गयी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
9. नियत दिनांक को आवेदकों द्वारा Online bids दी जा सकेगी। नियत दिनांक को निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदक Online bids नहीं दे

सकेंगे। Online bids देने वाले आवेदक को ही e-Auction में भाग लेने का अधिकार होगा।

10. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](http://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-Auction & Online bids में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को Online bids में भाग ले सकते हैं तथा जिन आवेदकों द्वारा Online bids में भाग लिया गया है, केवल वे आवेदक ही e-Auction में भाग ले सकते हैं।
11. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को तकनीकी ऑफर के साथ, विवरण पुस्तिका, समिति के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ट्रस्टी हो तो ट्रस्ट का विलेख के अनुसार रूपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र व प्राधिकरण पक्ष में परीक्षण शुल्क के रूप में अंकन रूपये 1,000/- **On line** जमा की रसीद अपलोड करना अनिवार्य है जिसका प्राधिकरण द्वारा परीक्षणोंपरान्त आवेदकों को e-Auction अनुमति दी जायेगी।
12. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को परीक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु **On line paid emd** ऐसे आवेदकों को, जिनका तकनीकी आवेदन/वाणिज्य आफर स्वीकृत नहीं होगा, बिना ब्याज बिना कटौती के **On line** शिक्षण संस्था के खाते में वापस कर दी जायेगी।
13. ऐसे आवेदकों—समितियों/ट्रस्ट की जमा धरोहर जब्त कर ली जायेगी जिनके पक्ष में शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और समिति/ट्रस्ट द्वारा आवंटन धनराशि जमा न कर पाने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो अथवा किसी भी किश्त की देयता पर शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो और ऐसे आवेदकों को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
14. यदि कोई आवंटी शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त कराना चाहे अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी किश्त की बकायादारी पर प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाये तो धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में 15% की कटौती करते हुए उनकी जमा धनराशि वापस की जायेगी।

15. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के समुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है तथा रिक्त दुकानों की तालिका के अन्तिम कॉलम में दुकान के मूल्य के सापेक्ष प्रत्येक दुकान के समुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् बिड MINIMUM BID for Auction उल्लिखित है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम् बिड (MINIMUM PER SQM BID) एवं दुकानों के समुख उल्लिखित दुकान की कीमत के सापेक्ष (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम् बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।
16. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित स्व: हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी नीलामी/बिड में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाईट [mdameerut.in](https://mdameerut.in) पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर लोड करनी होगी। सफल आवेदकों को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त स्व: हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
17. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा नियत दिनांक को निर्धारित समयानुसार आवेदकों की Online प्राप्त bids खोली जायेगी तथा आवेदकों की e-Auction के माध्यम से प्राप्त दरों व Online bids में प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। e-Auction व Online bids में से परस्पर प्राप्त उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
18. e-Auction & Online bids के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर Online bids देने वाले आवेदक / e-Auction पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि(EMD), e-Auction & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGSके माध्यम से वापस की जायेगी।

19. आवेदक जिस भूखण्ड/भवन/दुकान हेतु Online bids डालेगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-Auction में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये Online रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करना होगा तथा Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा सम्पत्ति के सापेक्ष धरोहर राशि(EMD) जमा करानी होगी।
20. हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को e-Auction & Online bids में भाग लेने के लिये आवेदक एम०बी०बी०एस० डिग्री प्राप्त चिकित्सक होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं, तो उसका एक सदस्य एम०बी०बी०एस० डिग्री धारक होना अनिवार्य है तथा हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण भी इसके साथ संलग्न किया जायेगा। व्यक्ति/संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति (हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
21. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि के बजाय शत प्रतिशत भुगतान पर सकल कीमत में 2 (दो) प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में वास्तविक अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।
22. मेरठ विकास प्राधिकरण से e-Auction & Online bids पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस०एस०आई० यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. (1) प्रतिभागी द्वारा e-Auction & Online bids में दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की

दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समोयोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी तथा भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 13% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 5 छमाई किश्तें 6–6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाई) अतिरिक्त देय होगा।

#### तथा

(2) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष भूखण्ड की जमा **emd** धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी दिनांक से 01 माह की अवधि के अन्दर तथा भूखण्ड की शेष 75% धनराशि 5 समान वार्षिक किश्तों में 13% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली वार्षिक किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से एक वर्ष में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 4 वार्षिक किश्तें एक-एक वर्ष के अन्तराल पर देय होगी। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से अदा करने की स्थिति में 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाई) अतिरिक्त देय होगा। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जायेगी।

(3) यदि शैक्षिक भूखण्ड के आवंटी द्वारा भूखण्ड का आवंटन निर्गत होने पर भूखण्ड की जमा **emd** धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि के बजाय कुल देय प्रीमियम का भुगतान अर्थात् शत प्रतिशत धनराशि एक मुश्त आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर कर दिया जाता है तो कुल देय प्रीमियम धनराशि पर 5% की छूट प्रदान की जायेगी।

24. e-Auction & Online bids का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

25. शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों का विधिवत् आवंटन पत्र/किशत पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25% धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी।
26. शैक्षिक, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो प्रश्नगत शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में सम्पत्ति की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी :—

मद सं-08	<p>प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया—</p> <p>(1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किशतों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p> <p>(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p>
----------	--	--

## 27. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा तथा हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम के आवंटी को पट्टा विलेख पंजीकृत कराकर कब्जा दिया जायेगा।

(ब) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति के किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं 72 / 3488 / आठ-1-14-30 विविध / 2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स, बारातघर व बैंकवट हाल के भूखण्ड का आवंटन, लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का 10% लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष नियम शर्त अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

(य) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर भूखण्ड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि, 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का 10% लीजरेन्ट की धनराशि, पानी सीवर चार्ज, दस्तावेज़ शुल्क, यदि भूखण्ड कॉर्नर का है तो भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज, भूखण्ड मूल्य+कॉर्नर चार्ज पर देय 10 प्रतिशत लीजरैन्ट की धनराशि जमा कराकर नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा। शैक्षिक भूखण्ड के पट्टा विलेख के निष्पादन के समय नियमानुसार स्टाम्प डयूटी देय होगी। शैक्षक भूखण्ड की पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् शैक्षिक भूखण्ड का पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(र) शैक्षिक भूखण्ड के आवंटियों को राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**28. शैक्षिक भवन का निर्माणः—**

आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

**29. शैक्षिक भवन के निर्माण की अवधि:—**

शैक्षिक भूखण्ड धारक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कब्जा प्राप्ति तिथि/पट्टा विलेख निष्पादित करने की तिथि जो भी पहले हो, से 3 वर्ष के अन्दर शैक्षिक भवन का निर्माण पूर्ण करके शिक्षण संस्था चलाने का कार्य आरम्भ कर दें अन्यथा/अथवा उनका आवंटन उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का 15% कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

**30. शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोगः—**

आवंटित भूखण्ड का प्रयोग केवल निर्धारित शिक्षण संस्था चलाये जाने के लिये ही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**31. कर आदि की देयता:—**

शैक्षिक भूखण्ड धारक द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

**32. प्रबन्ध समिति:—**

प्रबन्ध समिति में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सचिव भी शिक्षण संस्था संचालन प्रबन्ध समिति का सदस्य होगे।

**33. प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31—5—2005 के मद सं0 9 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्डों तथा प्राधिकरण सीमा में स्वीकृत होने वाले विद्यालयों/महा विद्यालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला तथा प्राधिकरण से रियायती दरों पर पूर्व में आवंटित व भविष्य में आवंटित होने वाले शैक्षिक भूखण्डों में निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में, प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियों/समस्त कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 50% छूट दी जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी दी जाये। तदनुसार**

आवंटी—समिति / ट्रस्ट द्वारा यह सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के बच्चों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर उच्चतम् निविदा / नीलामीदाता / आवंटी—समिति / ट्रस्ट सदैव कायम रहेगा और उच्चतम् निविदा / नीलामीदाता / आवंटी—समिति / ट्रस्ट द्वारा ऐसा न करने पर उसके पक्ष में हुए आवंटन को, बिना किसी सूचना के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

34. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 1889 / आठ—1—2009—10विविध / 04 दिनांक 3—5—2009 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये है कि समाज के सभी वर्ग के गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे के लिये 10% स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना तथा उन्हें कुल निर्धारित देय फीस में 50% छूट प्रदान करनी होगी। अतः शासन द्वारा जारी उक्त आदेश एवं समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन संरक्षा को करना होगा।
35. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
36. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम् दर का 10% कॉर्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।
37. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
38. फ्रीहोल्ड चार्ज का 12% अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।
39. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

40. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
41. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुधरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
42. परिसम्पत्तियों का आवंटन "जहाँ है, जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।
43. अन्य शर्ते—
- (1) e-Auction & Online bids में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
  - (2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
  - (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-Auction & Online bids पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-Auction & Online bids से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
  - (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
  - (5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।
  - (6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र कराकर ही अनुसार अनुमन्य होगा।
  - (7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय

शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।

**e-Auction & Online bids** में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—  
मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

## (केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)

### शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन हेतु तकनीकी अहताओं का मूल्यांकन—

क्र0

वाँछित प्रपत्र

सं0

1. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु पंजीकृत संस्था/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का विवरण एवं पंजीकरण की अवधि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
2. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा, संलग्न करें।
3. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पूर्व में चलायी गयी शिक्षण संस्था का विवरण संलग्न करें।
4. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षों की चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स सीट की प्रति संलग्न करें।
5. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट भूखण्ड की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा (लिकिवड असेस्टस) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट में कार्यरत् शैक्षिक स्टाफ, अध्यापक एवं अध्ययनरत् छात्रों आदि का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करें—

#### शिक्षण संस्था हेतु पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट में कार्यरत् स्टाफ आदि का विवरण

क्र0 सं0	कार्यरत् शिक्षण संस्था का नाम	कार्यरत् अध्यापक	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	कार्यरत् अन्य स्टाफ

## (केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कालेज एवं मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट” की स्थापना के लिये  
तकनीकी ऑफर का प्रारूप

- |                   |
|-------------------|
| आवेदक             |
| का                |
| पास्पोर्ट साईज का |
| स्वहस्ताक्षरित    |
| फोटो              |
1. योजना का नाम .....  
सैक्टर ..... व पॉकेट ..... व आवेदित भूखण्ड सं .....  
क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर
  - (यदि आवेदनकर्ता—समिति/द्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग—अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)
  2. समिति/द्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति/द्रस्ट की ओर से भूखण्ड का आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है—  
.....  
.....
  3. आवेदनकर्ता समिति/द्रस्ट का नाम .....
  4. (क) समिति इनमें से किसके अन्तर्गत आती है—रजिस्टर्ड सोसायटी/रजिस्टर्ड को—आपरेटिव सोसायटी/द्रस्ट/अन्य और यदि इनसे भिन्न है, का विवरण .....  
(ख) पंजीकरण संख्या ..... व रजिस्ट्रेशन का वर्ष .....  
पंजीकरण/नवीनीकरण कब से कब तक की अवधि के लिये मान्य है दिनांक ..... से दिनांक ..... तक  
(ग) समिति/द्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:—  
.....  
.....  
(घ) समिति/द्रस्ट के कार्यालय का टेलीफोन नम्बर: कार्यालय ..... फैक्स .....  
(ङ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पतें, शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवसाय व पते .....  
.....
  - (कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय)
  5. परीक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि रूपये 1,000/- का विवरण —बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे—आर्डर संख्या ..... जारीकर्ता बैंक का नाम .....
  6. आवेदक द्वारा विवरण पुस्तिका प्राधिकरण की वैबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका शुल्क रूपये 1,000/- अदा करने हेतु संलग्न किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट की संख्या ..... दिनांक ..... जारीकर्ता बैंक का नाम .....
  7. जमा धरोहर राशि का विवरण:— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे—आर्डर संख्या ..... दिनांक ...  
रूपये ..... जारीकर्ता बैंक का नाम .....
  8. प्रस्तावित शिक्षण संस्था/स्कूल का निर्माण किस वित्तीय श्रोत्रों से प्रस्तावित है :— .....  
.....(इसके प्रमाण में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
  9. आवेदित भूमि के कितने क्षेत्रफल पर निर्माण प्रस्तावित है:— .....

10. प्रस्तावित शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को क्या—क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:—
- .....  
.....
11. प्रस्तावित शिक्षण संस्था का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है .....
12. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के निर्माण के उपरान्त कब से चालाया जाना प्रस्तावित है .....
13. अन्य विवरण:—
- .....  
.....

नोट:—

- (1) शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षावार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें।
- (2) यदि आवेदन ने पूर्व में या वर्तमान में कोई शिक्षण संस्था चलायी हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये।
- (3) व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (शिक्षण संस्था से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।
- (4) ऐसे तकनीकी ऑफर, जिनके साथ परीक्षण शुल्क एवम् पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे—आर्डर संलग्न नहीं होगा, बिना कारण बतायें निरस्त कर दिये जायें।

घोषणा:—

मैंने पंजीकरण हेतु दी गयी समर्त शर्त पढ़ ली है, जो मुझे मान्य है।

आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर  
व समिति/ट्रस्ट की मोहर।

×-×-×-×

**Schemewise Detail of Non Residential Plots.**

SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE	RESERVE VALUE	EMD	MINIMUM PER SQM BID for Auction
<b>DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME</b>								
1	B	BC-06	2974.8	Commercial	28400	84484320	8448432	284
2	B	BC-10	2357	Commercial	28400	66938800	6693880	284
3	B	BC-11	2960.3	Commercial	28400	84072520	8407252	284
4	B	BC-12	2960.9	Commercial	28400	84089560	8408956	284
5	D	D/C-07	1479.4	Commercial	28400	42014960	4201496	284
6	D	D/GH-1	2783.5	GROUP HOUSING	21300	59288550	5928855	213
7	D	D/GH-02	2754.6	GROUP HOUSING	21300	58672980	5867298	213
8	E	GH-1	4050	GROUP HOUSING	21300	86265000	8626500	213
9	E	GH-2	3801	GROUP HOUSING	21300	80961300	8096130	213
10	D	D/GH-03	2754.6	Group Housing	21300	58672980	5867298	213
11	E	E/C-1/2	528.88	Commercial	28400	15020192	1502019	284
12	E	E/C-2	1052.6	Commercial	28400	29893840	2989384	284
13	E	E/C-3	203.04	Commercial	28400	5766336	576634	284
14	E	E/C-4	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
15	E	E/C-5	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
16	E	E/C-6	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
17	E	E/C-9	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
18	E	E/C-10	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
19	E	E/C-11	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
20	E	E/C-12	203.04	Commercial	28400	5766336	576634	284
21	E	E/C-13	204.66	Commercial	28400	5812344	581234	284
22	E	E/C-14	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
23	E	E/C-15	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
24	E	E/C-16	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
25	E	E/C-19	163.26	Commercial	28400	4636584	463658	284
26	E	E/C-20	162.18	Commercial	28400	4605912	460591	284
27	E	E/C-21	160.92	Commercial	28400	4570128	457013	284
28	E	E/C-22	201.3	Commercial	28400	5716920	571692	284
29	E	E/C-23	209.43	Commercial	28400	5947812	594781	284
30	E	E/C-24	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
31	E	E/C-25	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
32	E	E/C-26	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
33	E	E/C-27	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
34	E	E/C-28	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
35	E	E/C-29	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
36	E	E/C-30	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
37	E	E/C-31	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
38	E	E/C-32	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
39	E	E/C-33	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
40	E	E/C-34	162	Commercial	28400	4600800	460080	284

41	E	E/C-35	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
42	E	E/C-36	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
43	E	E/C-37	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
44	E	E/C-38	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
45	E	E/C-39	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
46	E	E/C-40	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
47	E	E/C-41	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
48	E	E/C-42	162	Commercial	28400	4600800	460080	284
49	E	E/S-15	32.6	CON.SHOP	28400	925840	92584	284
50	I	CON.SHOPs	2418	CON.SHOP	28400	68671200	6867120	284
51	L	Commr	1650	Commercial	28400	46860000	4686000	284
52	L	Community centre	1500	Community Centre	14200	21300000	2130000	142
53	L	Bank Post Office	1200	Bank Post Office	28400	34080000	3408000	284
54	L	Municipal Services	1184	Municipal Services	28400	33625600	3362560	284
55	M	Commr Facilities	1250	Commr Facilities	28400	35500000	3550000	284
56	M	Commr	3400	Commr	28400	96560000	9656000	284
57	M	CON.SHOP	1400	CON.SHOP	28400	39760000	3976000	284

#### DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME

58	B	BC-08	285.6	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	12852000	1285200	450
59	B	BC-13	275	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	13612500	1361250	495
60	B	BC-14	202.5	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	9112500	911250	450
61	B	BC-17	202.5	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	9112500	911250	450
62	B	BC-19	253.13	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	12529935	1252994	495
63	B	BC-20	275	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	13612500	1361250	495
64	B	BC-24	202.5	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	9112500	911250	450
65	B	BC-27/1	178.23	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	8020350	802035	450
66	B	BC-34	303.6	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	13662000	1366200	450
67	B	BC-35	359.37	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	17788815	1778882	495
68	B	COMM	2000	SHOPPING CENTRE	49500	99000000	9900000	495

#### SHRADHAPURI PHASE-1 HOUSING SCHEME

69	4	C-04	596	COMMERCIAL	46200	27535200	2753520	462
70	8	C-1/6	394.4	COMMERCIAL	40700	16052080	1605208	407

71	8	C-1/7	438.44	COMMERCIAL	40700	17844508	1784451	407
<b>SHRADHAPURI PHASE-2 HOUSING SCHEME</b>								
72	A	C-7	112.5	COMMERCIAL	44000	4950000	495000	440
73	C	HELTH CENTRE	2920	HELTH CENTRE	33600	98112000	9811200	336
74	C	CP-02	3100	COMMERCIAL	56000	173600000	17360000	560
75	C	CP-03	3100	COMMERCIAL	56000	173600000	17360000	560
76	C	CP-03/1	3105	COMMERCIAL	56000	173880000	17388000	560
77	C	CC-08	140	COMMERCIAL	39000	5460000	546000	390
78	C	CC-13	148.75	COMMERCIAL	39000	5801250	580125	390
79	C	CC-14	148.75	COMMERCIAL	39000	5801250	580125	390
80	C	CC-15	160.65	COMMERCIAL	42900	6891885	689189	429
81	C	CC-17	148.75	COMMERCIAL	39000	5801250	580125	390
82	C	CC-18	148.75	COMMERCIAL	39000	5801250	580125	390
83	C	CS-1	254.38	CON.SHOP	42900	10912902	1091290	429
84	C	CS-2	254.37	CON.SHOP	40700	10352859	1035286	407
85	D	CS-01	640	CON.SHOP	42900	27456000	2745600	429
86	D	CS-02	640	CON.SHOP	42900	27456000	2745600	429
<b>PALLAV PURAM HOUSING SCHEME</b>								
87	G	CON.SHOP-N	375	CON.SHOP	42900	16087500	1608750	429
88	G	CON.SHOP-S	375	CON.SHOP	42900	16087500	1608750	429
89	H	CON.SHOP	450	CON.SHOP	41800	18810000	1881000	418
90	I	CON.SHOP	550	CON.SHOP	41800	22990000	2299000	418
<b>SANIK VIHAR HOUSING SCHEME</b>								
91	B	CS	1139	CON.SHOP	34100	38839900	3883990	341
92	D	CS	362.4	CON.SHOPS	36300	13155120	1315512	363
<b>GANGA NAGAR HOUSING SCHEME</b>								
93	B	C-02	1500	COMMERCIAL	52000	78000000	7800000	520
94	B	C-03	1500	COMMERCIAL	52000	78000000	7800000	520
95	B	C-04	1583.3	COMMERCIAL	57200	90564760	9056476	572
96	B	COMMUNITY CENTRE	1511.9	COMMUNITY CENTRE	26000	39309400	3930940	260
97	CP	CP-3	5588	COMMERCIAL	64000	357632000	35763200	640
98	CP	CP-05	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
99	CP	CP-06	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
100	CP	CP-07	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
101	CP	CP-08	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
102	CP	CP-09	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
103	F	COMMUNITY CENTRE	1360	COMMUNITY CENTRE	17930	24384800	2438480	179
104	H	C-1/1	96.88	COMMERCIAL	35860	3474117	347412	359
105	H	C-1/3	56.25	COMMERCIAL	34540	1942875	194288	345
106	H	C-1/4	56.25	COMMERCIAL	34540	1942875	194288	345
107	H	C-1/5	96.88	COMMERCIAL	37680	3650438	365044	377
108	H	C-8	255	COMMERCIAL	32600	8313000	831300	326
109	H	HELTH CENTRE	10495	HELTH CENTRE	25300	265523500	26552350	253

110	I	HELTH CENTRE	500	HELTH CENTRE	17930	8965000	896500	179
111	I	C-1	240	COMMERCIAL	35860	8606400	860640	359
112	I	C-2	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326
113	I	C-3	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326
114	I	C-4	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326
115	I	C-5	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326
116	J	C-1	2500	COMMERCIAL	35200	88000000	88000000	352
117	K	POST OFFICE	700	POST OFFICE	35860	25102000	2510200	359
118	L	CON.SHOP	430	CON.SHOP	35860	15419800	1541980	359
119	K	C-1	800	COMMERCIAL	35860	28688000	2868800	359
120	M	C-1	400	COMMERCIAL	35860	14344000	1434400	359
121	N	C-2	530	COMMERCIAL	39120	20733600	2073360	391
122	NP	C-4/1	4089.5	COMMERCIAL	42240	172740480	17274048	422
123	NP	C-4/2	4089.5	COMMERCIAL	42240	172740480	17274048	422
124	NP	C-2	127.2	COMMERCIAL	35200	4477440	447744	352
125	NP	C-3	127.2	COMMERCIAL	35200	4477440	447744	352
126	P	COMMUNITY CENTRE	3150	COMMUNITY CENTRE	17930	56479500	5647950	179
127	P	BANK & POST OFFICE	2500	BANK & POST OFFICE	35860	89650000	8965000	359
128	P	CON.SHOP	1125	CON.SHOP	35860	40342500	4034250	359
129	V	C-1/1	200	COMMERCIAL	35860	7172000	717200	359
130	V	C-1/2	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
131	V	C-1/3	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
132	V	C-1/4	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
133	V	C-1/5	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
134	V	C-1/6	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
135	V	C-1/7	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
136	V	C-1/8	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
137	V	C-1/9	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
138	V	C-1/10	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
139	V	C-1/11	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
140	V	C-1/12	200	COMMERCIAL	32600	6520000	652000	326
141	V	C-2	3248.7	COMMERCIAL	38720	125789664	12578966	387
142	V	HELTH CENTRE	5713	HELTH CENTRE	19360	110603680	11060368	194
143	W	C-1	3059	COMMERCIAL	38720	118444480	11844448	387
144	W	W/C-2/1	925.2	COMMERCIAL	39600	36637920	3663792	396
145	W	W/C-2/2	990	COMMERCIAL	39600	39204000	3920400	396
146	W	W/C-2/3	531.96	COMMERCIAL	39600	21065616	2106562	396
147	W	W/C-2/4	164.38	COMMERCIAL	32600	5358788	535879	326
148	W	W/C-2/5	159.84	COMMERCIAL	32600	5210784	521078	326
149	W	W/C-2/6	155.25	COMMERCIAL	35860	5567265	556727	359
150	W	W/C-2/7	150.75	COMMERCIAL	35860	5405895	540590	359
151	W	W/C-2/8	294.05	COMMERCIAL	35860	10544633	1054463	359
152	W	W/C-2/9	144.65	COMMERCIAL	35860	5187149	518715	359

153	W	W/C-2/10	143.05	COMMERCIAL	35860	5129773	512977	359
154	W	W/C-2/11	144.54	COMMERCIAL	35860	5183204	518320	359
155	W	W/C-2/12	150.21	COMMERCIAL	35860	5386531	538653	359
156	W	W/C-2/13	152.68	COMMERCIAL	35860	5475105	547510	359
157	W	W/C-2/14	150.6	COMMERCIAL	35860	5400516	540052	359
158	W	W/C-2/15	152.47	COMMERCIAL	35860	5467574	546757	359
159	W	W/C-2/16	156.34	COMMERCIAL	32600	5096684	509668	326
160	W	W/C-2/17	157.43	COMMERCIAL	32600	5132218	513222	326
161	W	W/C-2/18	226.06	COMMERCIAL	35860	8106512	810651	359
162	W	W/C-2/19	165.26	COMMERCIAL	39120	6464971	646497	391
163	W	W/C-2/20	105	COMMERCIAL	35860	3765300	376530	359
164	W	W/C-2/21	105	COMMERCIAL	35860	3765300	376530	359
165	W	W/C-2/22	150.75	COMMERCIAL	39120	5897340	589734	391
166	W	W/C-2/23	151.2	COMMERCIAL	35860	5422032	542203	359
167	W	W/C-2/24	144	COMMERCIAL	32600	4694400	469440	326
168	W	W/C-2/25	144	COMMERCIAL	35860	5163840	516384	359
169	W	W/C-2/26	144	COMMERCIAL	35860	5163840	516384	359
170	W	W/C-2/27	144	COMMERCIAL	35860	5163840	516384	359
171	W	W/C-2/28	314.88	COMMERCIAL	39120	12318106	1231811	391
172	W	MP/C-1/1	2001.48	COMMERCIAL	36000	72053280	7205328	360
173	W	MP/C-1/2	2005.59	COMMERCIAL	36000	72201240	7220124	360
174	W	MP/C-1/3	1791.22	COMMERCIAL	36000	64483920	6448392	360
175	W	MP/C-1/4	2041.36	COMMERCIAL	39600	80837856	8083786	396
176	W	WP-1/1	903.44	PETROL /CNG	35200	31801088	3180109	352
177	W	WP-1/2	1143.1	PETROL /CNG	35200	40237120	4023712	352
178	W	WP-1/3	1778.41	PETROL /CNG	35200	62600032	6260003	352

#### RAKSHA PURAM HOUSING SCHEME

179	1	C-8	3043	COMMERCIAL COM GROUP HOUSING	43780	133222540	13322254	438
180	1	C-11	1000	COMMERCIAL	39800	39800000	3980000	398
181	1	C-2/12	150	COMMERCIAL	39800	5970000	597000	398
182	1	C-2/13	150	COMMERCIAL	39800	5970000	597000	398
183	1	C-2/14	150	COMMERCIAL	39800	5970000	597000	398
184	4	CS	305	CON.SHOP	47760	14566800	1456680	478

#### PANDAV NAGAR HOUSING SCHEME

185	D	3	177.35	COMMERCIAL	48200	8548270	854827	482
186	G	PART-B	204.8	COMMERCIAL	48200	9871360	987136	482

#### VED VYAS PURI HOUSING SCHEME

187	1	POST OFFICE	900	POST OFFICE	36960	33264000	3326400	370
188	1	LOCAL SHOPPING	2550	LOCAL SHOPPING	36960	94248000	9424800	370
189	2B	COMMUNITY CENTRE	3200	COMMUNITY CENTRE	20328	65049600	6504960	203
190	2C	NURSING HOME	1800	NURSING HOME	18480	33264000	3326400	185
191	2C	COMMERCIAL CENTRE	4690	COMMERCIAL CENTRE	40320	189100800	18910080	403

192	2	I.T.P.-1	9475	IT PARK	40656	385215600	38521560	407
193	2	I.T.P.-2	9208	IT PARK	36960	340327680	34032768	370
194	3	C-2	1222	COMMERCIAL	36960	45165120	4516512	370
195	3	C-3	1119.9	COMMERCIAL	36960	41391504	4139150	370
196	3	C-4	1398.7	COMMERCIAL	40656	56865547	5686555	407
197	3	C-5	1510	COMMERCIAL	40656	61390560	6139056	407
198	3	C-6	1250	COMMERCIAL	36960	46200000	4620000	370
199	3	C-7	1250	COMMERCIAL	36960	46200000	4620000	370
200	3	C-9	12310	COMMERCIAL	36960	454977600	45497760	370
201	3	C-9/1	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
202	3	C-9/2	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
203	3	C-9/3	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
204	3	C-9/4	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
205	3	C-9/5	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
206	3	C-9/6	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
207	3	C-9/7	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
208	3	C-9/8	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
209	3	C-9/9	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
210	3	C-9/10	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
211	3	C-9/11	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
212	3	C-9/12	396.75	COMMERCIAL	36960	14663880	1466388	370
213	3	C-10	3681	COMMERCIAL	36960	136049760	13604976	370
214	3	C-10/1	3681	COMMERCIAL	36960	136049760	13604976	370
215	3	C-11	3681	COMMERCIAL	36960	136049760	13604976	370
216	3	C-12	6322.4	COMMERCIAL	42240	267058176	26705818	422
217	3	C-13	7422.8	COMMERCIAL	42240	313539072	31353907	422
218	3	C-14	6029.4	COMMERCIAL	42240	254681856	25468186	422
219	3	C-15	6025.3	COMMERCIAL	42240	254508672	25450867	422
220	3	C-16	6021.1	COMMERCIAL	42240	254331264	25433126	422
221	3	C-17	6017.3	COMMERCIAL	42240	254170752	25417075	422
222	3	C-18	6013.4	COMMERCIAL	42240	254006016	25400602	422
223	3	C-19	6009.6	COMMERCIAL	42240	253845504	25384550	422
224	4B	COMM R	8038.2	COMMERCIAL	40656	326801059	32680106	407
225	7-B	GH-03	4497.1	GROUP HOUSING	27720	124659612	12465961	277
226	7-B	GH-04	4965.1	GROUP HOUSING	30492	151395829	15139583	305
227	7-B	COMM R	1811.8	COMMERCIAL	36960	66964128	6696413	370
228	8	CS	529.53	CON.SHOP	36960	19571429	1957143	370
229	8	25A	1000	INDUSTRIAL	14700	14700000	1470000	147
230	8	26	1000	INDUSTRIAL	14700	14700000	1470000	147
231	8	39	450	INDUSTRIAL	14700	6615000	661500	147

#### SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME

232	1-B	C-10	229.39	Commercial	28000	6422920	642292	280
233	1-B	C-21	394.8	Commercial	28000	11054400	1105440	280
234	2	C-02	1000	Commercial	28000	28000000	2800000	280
235	2	C-03	1480	Commercial	28000	41440000	4144000	280
236	2	C-3/1	933.34	Commercial	28000	26133520	2613352	280

237	2	C-05	1000	COMMERCIAL	28000	28000000	2800000	280
238	2	C-09	1662	COMMERCIAL	28000	46536000	4653600	280
239	2	C-10	1662	COMMERCIAL	28000	46536000	4653600	280
240	2	C-13	1113.8	COMMERCIAL	28000	31186400	3118640	280
241	2	C-14	1140.4	COMMERCIAL	28000	31931200	3193120	280
242	2	C-15	917	COMMERCIAL	28000	25676000	2567600	280
243	2	C-16	1794.9	COMMERCIAL	28000	50257200	5025720	280
244	3	Health Centre	1750	Health Centre	14000	24500000	2450000	140
245	3	Commercial	6656	Commercial	28000	186368000	18636800	280
246	4C-A	GH	4223.5	GROUP HOUSING	21000	88693500	8869350	210
247	4C-A	HELTH CENTRE	10000	HELTH CENTRE	14000	140000000	14000000	140
248	4B	CON.SHOP	315	CON.SHOP	28000	8820000	882000	280
249	4c-A	Local Shopping Centre	12152	Local Shopping Centre	28000	340256000	34025600	280
250	4c-A	Library Community Facilites	3000	Library Community Facilites	14000	42000000	4200000	140
251	4C-D	C-18	200	Commercial	28000	5600000	560000	280
252	4C-D	C-19	250	Commercial	28000	7000000	700000	280
253	4C-D	C-20	120	Commercial	28000	3360000	336000	280
254	4C-D	C-21	120	Commercial	28000	3360000	336000	280
255	4C-D	C-22	120	Commercial	28000	3360000	336000	280
256	4C-D	C-23	120	Commercial	28000	3360000	336000	280
257	4C-D	C-24	250	Commercial	28000	7000000	700000	280
258	4C-E	C-3	100	Commercial	28000	2800000	280000	280
259	4C-E	C-5	83.53	Commercial	28000	2338840	233884	280
260	4C-E	C-6	62.43	Commercial	28000	1748040	174804	280
261	4C-E	C-7	63.69	Commercial	28000	1783320	178332	280
262	4C-E	C-8	64.95	Commercial	28000	1818600	181860	280
263	4C-E	C-9	66.21	Commercial	28000	1853880	185388	280
264	4C-E	C-10	90.32	Commercial	28000	2528960	252896	280
265	4C-E	C-11	59	Commercial	28000	1652000	165200	280
266	4C-E	C-12	60	Commercial	28000	1680000	168000	280
267	4C-E	C-13	60	Commercial	28000	1680000	168000	280
268	4C-E	C-14	60	Commercial	28000	1680000	168000	280
269	4C-E	C-15	60	Commercial	28000	1680000	168000	280
270	4C-G	Conv. Shopping	2100	Conv. Shopping	28000	58800000	5880000	280
271	4C-G	Community Facilites	12200	Community Facilites	14000	170800000	17080000	140
272	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.3	COMMERCIAL	28000	54132400	5413240	280

273	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1918.2	COMMERCIAL	28000	53709600	5370960	280
274	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.1	HOTAL	28000	54126800	5412680	280
275	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1896.3	HOTAL	28000	53096400	5309640	280

#### SPORTS GOODS COMPLEX SCHEME

276	A	Commercial	1940	Commercial	48000	93120000	9312000	480
277	B	Raw Material DEPO	1785	Raw Material DEPO	48000	85680000	8568000	480

#### Schemewise Detail of Educational Plots.

SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE			
---------	-----------------	--------------	------	---------------------	--------------	--	--	--

#### GANGA NAGAR HOUSING SCHEME

278	B	NS/PS	964.68	NURSERY SCHOOL	26000	25081680	2508168	260
279	I	PS	3400	PRIMARY SCHOOL	16300	55420000	5542000	163
280	L	NS/PS	1986.16	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	16300	32374408	3237441	163
281	V	E-1	5471	INTER COLLEGE	17600	96289600	9628960	176

#### VED VIYASPURI HOUSING SCHEME

282	4B	HS	2557.46	HIGH SCHOOL	18480	47261861	4726186	185
-----	----	----	---------	-------------	-------	----------	---------	-----

#### DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME

283	D	DC	10008	DEGREE COLLEGE	14200	142113600	14211360	142
-----	---	----	-------	----------------	-------	-----------	----------	-----

#### SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME

284	4C/A	NS/PS	3853.27	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	14000	53945780	5394578	140
285	4C/A	MI	13480.4	MANAGEMENT INSTITUTE	14000	188725600	18872560	140
286	4B/B	NS/PS	4580	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	14000	64120000	6412000	140
287	4C/C	NS/PS	3150	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	14000	44100000	4410000	140
288	4C/E	NS/PS	6844	NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	14000	95816000	9581600	140
289	2	Kh-1031, 1105 & 1106 (Rethani)	5729.47	EDUCATIONAL, BARATGHAR/ BANQUET HALL/ HELTH CENTRE	14000	80212580	8021258	140

Detail of Half Constructed VC Residence and Detail of Shops.

	SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE VALUE	EMD	MINIMUM PER SQM BID for Auction
	290	2	VC RESIDENCE	4664.5	Half Contracted	128113800	12811380	1281138
<b>VIKAS VIHAR HOUSING SCHEME (SHOPS)</b>								
	291	-	3	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	292	-	4	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	293	-	5	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	294	-	6	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	295	-	7	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
	296	-	8	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
<b>PALLAV PURAM PHASE -1 HOUSING SCHEME (SHOPS)</b>								
	297	B	3	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	298	B	4	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	299	B	5	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	300	B	6	15.41	SHOP	940328	94033	9403
	301	B	8	16.02	SHOP	977550	97755	9776
	302	B	10	14.19	SHOP	865882	86588	8659
	303	B	12	14.76	SHOP	900664	90066	9007
	304	B	13	14.19	SHOP	865882	86588	8659
<b>SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME (SHOPS)</b>								
	305	1A	6	13.21	SHOP	1999000	199900	19990
	306	1A	7	15.65	SHOP	1960000	196000	19600
	307	1A	17	16.2	SHOP	1999000	199900	19990
	308	1A	19	16.2	SHOP	1999000	199900	19990
	309	1A	20	16	SHOP	1999000	199900	19990
	310	1A	21	16.2	SHOP	1999000	199900	19990
	311	1A	25	15.65	SHOP	1960000	196000	19600
<b>RAKSA PURAM HOUSING SCHEME (SHOPS)</b>								
	312	4	4	12	SHOP	1739600	173960	17396
	313	4	5	12	SHOP	1739600	173960	17396
	314	4	6	12	SHOP	1739600	173960	17396
	315	4	7	12	SHOP	1739600	173960	17396
	316	4	8	12	SHOP	1739600	173960	17396
	317	4	14	12	SHOP	1739600	173960	17396
	318	4	15	12	SHOP	1739600	173960	17396
<b>DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME (SHOPS)</b>								
	319	K	3	9.76	SHOPS	840800	84080	8408
	320	K	5	10.45	SHOPS	900200	90020	9002
	321	K	8	9.76	SHOPS	840800	84080	8408
	322	K	10	8.99	SHOPS	774500	77450	7745

